

निम्नांकित कर्मचारियों को उनके निवास हेतु राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 27 के प्रावधानान्तर्गत आउट ऑफ टर्न के आधार पर राजकीय आवास का निम्न शर्तों के आधार पर आवंटन किया जाता है।-

क्र.सं.	नाम एवं पदनाम आवंटी	सेवानिवृति दिनांक	आवंटित आवास संख्या
1.	श्री कृष्ण कुमार लिपिक ग्रेड-१ कार्यालय: राज्यमंत्री उच्च शिक्षा विभाग, जयपुर।	31.08.2054	एफ-408, गांधीनगर
2.	श्री प्रेम बुजानिया लिपिक ग्रेड-१ कार्यिक (ख-१) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	31.12.2055	एफ-54, गांधीनगर (रिक्त होने की प्रत्याशा में)
3.	श्री अशोक विश्नोई लिपिक ग्रेड-१ मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर।	31.01.2057	एफ-183, गांधीनगर

शर्तों :-

- आवास का कब्जा आवंटन/रिक्त की तिथि से ८ कार्य दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरन्तर समझा जावेगा।
- उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
- सेवानिवृति प्रस्ताव आवास रिक्त करना होगा।
- जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- स्वयं तथा पत्ती/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आठरण वितरण अधिकारी-टैक्स उक्त आवधियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा देता है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(ग)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से ८ दिवस में अवधा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से ६ माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। ६ माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस सेवा में अनुद्देश्य हो तो रोक दिया जायेगा।
- आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिकारी/अधिकारियों को यह घोषणा करनी होगी।
  - आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
  - आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी कोई स्वयं/पति/पालि व उन पर आमित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्रय नहीं किया है।
- उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(रौली किशनानी)  
विशिष्ट शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- जिला कलक्टर, जयपुर।
- सचिव (जीवी), मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
- उप शासन सचिव, कार्यिक (ख-१) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के बेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
- कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
- प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-३) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की बेब साईट पर अपडेट करने का त्रैम करावें।
- सामान्य प्रशासन (ग्रुप-५) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- अधिकारी/अधिकारी अधिकारी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड-तृतीय (मुख्यालय), जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आवण्टन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की आवश्यक पूर्ति करने के पश्चात ही आवण्टन की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
- अधिकारी/अधिकारी अधिकारी, जन स्वास्थ्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण नियम लिमिटेड, रामबाग सर्टिल, जयपुर।
- अधिकारी/अधिकारी अधिकारी अधिकारी, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी, गांधीनगर, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लैकबोर्ड पर चस्पा करावें साथ ही आवंटी के द्वारा कब्जा लेने/रिक्त दिनांक की सूचना निदेशक सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय जयपुर को भी भिजावाये।
- संबंधित कर्मचारियों को प्रेषित कर लेख है कि कब्जा लेने से पूर्व इस आवण्टन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की अपने स्तर पर आवश्यक पूर्ति कर अधिकारी/अधिकारी अधिकारी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड-तृतीय (मुख्यालय), जयपुर को सम्भावने के पश्चात ही कब्जा प्राप्त करें।
- निजी सचिव, शासन सचिव, साप्रविधि।
- रक्षित पत्रावली।

Signature valid

Digitally Signed by Shriji Kishanani  
Designation: Special Secretary To  
Government  
Date: 2023.01.09 1:52:02 IST  
Reason: Approved

आवास का कब्जा लेते समय प्रस्तुत करेंगे। संबंधित सहायक अभियन्ता द्वारा आवंटी से प्राप्त उक्त प्रपत्र अनुसार आवंटन हेतु पात्र होने पर ही कब्जा प्रदान किया जावेगा तथा आवंटन आदेश जारी होने के 15 दिवस में कब्जे की रिपोर्ट के साथ प्रपत्र आवश्यक रूप से सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करावेंगे।

प्रपत्र में असत्य सूचनाओं के आधार पर आवंटन निरस्त किया जा सकता है तथा कब्जे की तिथि से प्रचलित बाजार किराया दर वसूलनीय होगा।

#### प्रपत्र

प्रपत्र
1. नाम अधिकारी / कर्मचारी
2. पिता / पति नाम
3. वर्तमान पद एवं पदस्थान विवरण
4. वैवाहिक स्थिति
5. जन्म दिनांक
6. सेवानिवृत्ति दिनांक
7. ईम्पलॉयी आई.डी. (Employee ID)
8. आधार नंबर
9. मोबाइल नंबर
10. ई-मेल आई.डी.
11. वर्तमान पता
12. स्थायी पता
13. नियुक्तिकर्ता विभाग
14. पदस्थापन दिनांक
15. डी.डी.ओ. कोड एवं नाम
16. पे-मेट्रिक्स लेवल
17. ग्रेड पे एवं बेसिक पे
18. Service Type (State/Ministrial/Subordinate etc.)
19. Employee Status (Probationer/ Permanent etc.)
20. जयपुर शहर में राजकीय आवास हेतु जयपुर शहर में निरन्तर रूप से पदस्थापित है? जयपुर में आवास हेतु आवदेन किया जाने के पश्चात् लगातार जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं। इस माध्य में स्वयं का जयपुर से बाहर स्थानान्तरण एवं पदस्थापन नहीं हुआ है।
21. आवंटी का जयपुर शहर में कोई स्वयं/पत्ति व उन पर आश्रित किसी सदस्य के नाम निजी आवास नहीं है।

आवेदक के हस्ताक्षर मय मोबाइल नम्बर

विभागाध्यक्ष / आहरण वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर मय नोहर